संख्या-61/2016-1950/14-4-2016-32/2016

प्रेषक,

मो० जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त उप वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ:दिनॉक: 30 अगस्त, 2016

विषय- अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि का योजनावार, जनपदवार, प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के क्रम में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-02/36-बी-15(जी)/बजट (2016-17), दिनांक 04-07-2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर की सामाजिक वानिकी योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2514082000/- के सापेक्ष शासनादेश संख्या-923/14-4-2016-32/2016, दिनांक 27-4-2016 से स्वीकृति धनराशि रू0 1071621000/- तथा शासनादेश संख्या-1088/14-4-2016-32/2016, दिनांक 25-05-2016 से स्वीकृति धनराशि रू0 243342000/- एवं शासनादेश संख्या-1313/14-4-2016-32/2016, दिनांक 31-05-2016 से स्वीकृति धनराशि रू0 142761000/- व शासनादेश संख्या-1573/14-4-2016-32/2016, दिनांक 08-07-2016 से स्वीकृति धनराशि रू0 33418000/- के अतिरिक्त रू0 181210000/-(रू0 अट्ठारह करोड बारह लाख दस हजार मात्र) की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2016 में निहित निदेशों के अधीन आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन रखे जाने की निम्न प्रकार सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते है।

2- वर्ष 2016-17 का जिलायोजनाओं का परिव्यय अभी अनुमोदित नही हुआ है अतएव अनन्तिम रूप से स्वीकृतियां निर्गत की जा रही हैं। वर्ष 2016-17 हेतु नियोजन विभाग से परिव्यय अनुमोदित होने के उपरान्त उक्त आवंटन की सीमा तक समायोजित किया जायेगा। सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवश्यक परिव्यय के अनुमोदन जिला नियोजन एवं अनुश्रवण एवं समिति से करा दिया जाये।

3- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य

http://shasanadesh.up.nic.in

सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में नवीनतम निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराई जाय। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-1/2004, दिनांक 07-01-2015 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 8 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5-. स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध उक्त योजनाओं में व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित संलग्न जनपदवार/प्रभागवार/योजनावार भौतिक लक्ष्य तथा समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग वर्ष 2015-16 में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये अग्रिम मृदा कार्य के अवशेष कार्य तथा वृक्षारोपण कार्य कराया जाये। इससे सम्बन्धित धनराशि जिस सीमा तक मनरेगा से प्राप्त हो जाती है उस धनराशि का आहरण सामाजिक वानिकी जिला योजना से न किया जाय। समस्त वन संरक्षक/ मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक तथा जोनल मुख्य वन संरक्षकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा। कि कार्य मुख्यालय से निर्धारित सीलिंग दर एवं मानक के अंतर्गत कराया जाये तथा किसी भी कार्य हेतु धनराशि की द्विरावृत्ति न की जाय।

7. यदि त्रुटिवश मनरेगा से किसी प्रभागीय वनाधिकारी को उक्त मद में धनराशि प्राप्त हो जाती हे तो तत्काल प्रमुख वन संरक्षक एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।

8- बजट आवंटन से पूर्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को लिखित रूप से मनरेगा से बजट आवंटन हेतु मना कर दिया गया है।

9- उक्त जिला योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के नियमानुसार समुचित उपयोग हेतु संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता तथा नियमानुसार निश्पादन हेतु उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

10- आवंटित धनराशि को यदि किसी ऐसे मद पर जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं बजट मैनुएल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो, बिना स्वीकृति प्राप्त किये व्यय कदापि न किया जाय।

11- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- आवंटित धनराशि के सभी बिलों चाहे वे वेतन आदि से संबधित हों अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, पर अनुदान संख्या-60 सहित सही एवं सम्पूर्ण मुख्य, उप मुख्य, लघु, उप लघु, विस्तृत शीर्षक एवं मानक मदों को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल के दाहिने ओर लाल स्याही में "आयोजनागत'' शब्द अवश्य लिखा जाए, ताकि महालेखाकार उत्तर प्रदेश को सही आकड़े के पुस्तांकन में कठिनाई न हो।

13- कृपया आवंटित व्यक्तिगत रूप से यह भी सुनिश्चित करें कि इन आवंटन से आपसे सम्बन्धित प्रभाग से आहरित की गयी धनराशि की प्रगति तथा भौतिक उपलब्धियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र तथा बी0एम0-13 प्रपत्र में संकलित कर प्रत्येक माह की पॉच तारीख तक मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित जोनल मुख्य वन संरक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराय दिया जाये।

14- धनराशि के आवंटन की इस प्रक्रिया को अपनाने से विभागाध्यक्ष/वन संरक्षकों के निर्धारित उत्तरदायित्व पूर्ववत बने रहेंगें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवंटित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक उत्तरदायित्व होगें। अत: यह आवश्यक है कि समस्त जिला स्तरीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति की अनुश्रवण प्रत्येक माह करते रहें तथा प्रगति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जो प्रत्येक स्तर की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगें। वन संरक्षक/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, तथा जोनल मुख्य वन संरक्षक, यह सुनिश्चित करेगें कि आवंटित धनराशि व्यय में काई द्विरावृत्ति न हो।

15- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

16- जिला योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में क्षेत्रवार निश्चित योजना (लोकेशन स्पेसिफिक एक्शन प्लान) की प्रतियां जिला समन्वय निस्तारण अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों, आयुक्त जिला अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह सूचना क्षेत्र व ग्राम स्तर पर भी अवश्य उपलब्ध करायी जाय, ताकि वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य कलापों की जानकारी जन साधारण में रहें व कार्यों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रहें।

17- व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।

18- पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने हेतु अधिकारों, दायित्वों एवं कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के परती भूमि विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-406/14-प0भू0वि0/99-3/99, दिनॉक 19-03-1999 के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

19- **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर से निर्गत धनराशि की सत्यापन**/पुष्टि की जायेगी कि मनरेगा के अन्तर्गत पूर्व में (2015–16 एवं 2016–17) प्राप्त धनराशि तथा वर्तमान में मांगी जा रही अवशेष धनराशि सीलिंग दर के अन्तर्गत ही है।

20- उक्त योजनान्तर्गत आय–व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 2514082 हजार के सापेक्ष रू0 1491142 हजार का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण पत्र, भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

21-. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों तथा निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1950(1)/14-4-2016-32/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा केन्द्रीय भवन दसवां तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी, दक्षिणी, केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पश्चिमी, वन्यजीव, पूर्वी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।
9. समस्त वन संरक्षक/समस्त क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नकों में इगित जनपदवार प्रभागवार, आहरण एवं वितरण अधिकारीवार संशोधित धनराशि की साख-सीमा अपने स्तर से सम्बन्धित निस्तारण अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2 (नियोजन विभाग).
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण, अनुभाग-7)/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1).
15. वन अनुभाग-1, 2, 3 तथा 5.
16. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र, लखनऊ।
17. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या –1950/14–4–2016–32/2016 दिनांक .08.2016 का संलग्नक

संलग्नक–1

योजना–सामाजिक वानिकी योजना (जिला योजना)

चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के व्यय हेतु अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या–60 के पूँजी लेखा के लेखाशीर्षक–4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–01–वानिकी–102–समाज तथा फार्म वानिकी– 03–सामाजिक वानिकी (सी0सी0एल0)(जिला योजना)– 24–वृहत् निर्माण कार्य

(रु0 हजार में)

क्र0 सं0	मण्डल/जनपद/प्रभाग का नाम		परिव्यय (अनन्तिम)	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	अतिरिक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि
	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम				
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	आगरा	18018	17901		17901
		चम्बल पशु विहार		117		117
2	मैनपुरी	मैनपुरी	1571	1571		1571
3	मथुरा	मथुरा	10000	10000		10000
4	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	31777	31777		31777
	योग आगरा मण्डल		**61366**	**61366**	**0**	**61366**
5	अलीगढ.	अलीगढ.	13228	13228		13228
6	हाथरस़	हाथरस़	13741	12130	1611	13741
7	एटा	एटा	11711	9845	1866	11711
8	कासगंज	कासगंज	11575	11078	497	11575
	योग अलीगढ. मण्डल		**50255**	**46281**	**3974**	**50255**
9	बरेली	बरेली	11561	11133	428	11561
10	बदायूं	बदायूं	16718	15313	1405	16718
11	पीलीभीत सा0वा0	पीलीभीत सा0वा0	8432	3844		3844
		पीलीभीत टा0रि0		4588		4588
12	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	39435	39435		39435
	योग बरेली मण्डल		**76146**	**74313**	**1833**	**76146**
13	मेरठ	मेरठ	6787	6787		6787
14	बागपत	बागपत	4001	4001		4001
15	गाजियाबाद	गाजियाबाद	1668	1668		1668
16	हापुड	हापुड	10297	10297		10297
17	गौतमबुद्ध नगर	गौतमबुद्ध नगर	3326	3326		3326
18	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	11333	11333		11333
	योग मेरठ मण्डल		**37412**	**37412**	**0**	**37412**
19	सहारनपुर	सहारनपुर	4760	112		112
		शिवालिक		4648		4648

http://shasanadesh.up.nic.in

20	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	3994	3994		3994
21	शामली	शामली	3968	3968		3968
	योग सहारनपुर मण्डल		**12722**	**12722**	**0**	**12722**
22	मुरादाबाद	मुरादाबाद	2651	2651		2651
23	सम्भल	सम्भल	5805	5280	525	5805
24	अमरोहा	अमरोहा	22414	22414		22414
25	रामपुर	रामपुर	4647	4647		4647
26	बिजनौर	बिजनौर	30138	12368		12368
		नजीबाबाद		17770		17770
	योग मुरादाबाद मण्डल		**65655**	**65130**	**525**	**65655**
27	वाराणसी	वाराणसी	2163	2163		2163
28	चंदौली	काशी वन्य जीव	36420	22140	14280	36420
29	गाजीपुर	गाजीपुर	11712	11712		11712
30	जौनपुर	जौनपुर	19099	19099		19099
	योग वाराणसी मण्डल		**69394**	**55114**	**14280**	**69394**
31	संतरविदास नगर भदोही	संतरविदास नगर भदोही	5748	5748		5748
32	मिर्जापुर	मिर्जापुर	27186	24407		24407
		कैमूर वन्यजीव		2779		2779
33	सोनभद्र	सोनभद्र	140461	38820	6900	45720
		कैमूर वन्यजीव		2469		2469
		रेनुकूट		44288	4172	48460
		ओबरा		39640	4172	43812
	योग विन्ध्याचल मण्डल		**173395**	**158151**	**15244**	**173395**
34	गोरखपुर	गोरखपुर	12444	12444		12444
35	महराजगंज	सोहागीबरवा वन्यजीव	20657	16764		16764
		गोरखपुर		3893		3893
36	देवरिया	देवरिया	14031	14031		14031
37	पडरौना(कुशीनगर)	पडरौना(कुशीनगर)	8939	8939		8939
	योग गोरखपुर मण्डल		**56071**	**56071**	**0**	**56071**
38	बस्ती	बस्ती	28924	28924		28924
39	संतकवीर नगर	संतकवीर नगर	30590	30590		30590
40	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	28398	28398		28398
	योग बस्ती मण्डल		**87912**	**87912**	**0**	**87912**
41	आजमगढ.	आजमगढ.	8689	8689		8689
42	मऊ	मऊ	5439	5439		5439
43	बलिया	बलिया	16910	16910		16910

http://shasanadesh.up.nic.in

	योग आजमगढ़ मण्डल		**31038**	**31038**	**0**	**31038**
44	इलाहाबाद	इलाहाबाद	42388	38135	4253	42388
45	कौशाम्बी	कौशाम्बी	12884	12884		12884
46	फतेहपुर	फतेहपुर	5049	5049		5049
47	प्रतापगढ.	प्रतापगढ.	6867	5795	1072	6867
	योग इलाहाबाद मण्डल		**67188**	**61863**	**5325**	**67188**
48	लखनऊ	लखनऊ	7775	7775		7775
49	रायबरेली	रायबरेली	45251	42500	2751	45251
50	हरदोई	हरदोई	20744	20744		20744
51	उन्नाव	उन्नाव	19166	19166		19166
52	सीतापुर	सीतापुर	39275	39275		39275
53	खीरी	उत्तरी खीरी	27347	14161		14161
		दक्षिणी खीरी		13186		13186
	योग लखनऊ मण्डल		**159558**	**156807**	**2751**	**159558**
54	फैजाबाद	फैजाबाद	40376	40376		40376
55	अम्बेडकर नगर	अम्बेडकर नगर	36158	36158		36158
56	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	31849	31849		31849
57	अमेठी	अमेठी	36639	36050	589	36639
58	बाराबंकी	बाराबंकी	33535	30805	2730	33535
	योग फैजाबाद मण्डल		**178557**	**175238**	**3319**	**178557**
59	गोन्डा	गोन्डा	20711	19498	1213	20711
60	बलरामपुर	सोहेलवा वन्य जीव	11237	5216		5216
		गोन्डा		6021		6021
61	श्रावस्ती	श्रावस्ती	39650	37257	2393	39650
62	बहराइच	बहराइच	31785	31468		31468
		कतरनियांघाट वन्य जीव		317		317
	योग देवीपाटन मण्डल		**103383**	**99777**	**3606**	**103383**
63	कानपुर नगर	कानपुर	30998	30998		30998
64	कानपुर देहात	कानपुर देहात	12056	11476	580	12056
65	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	14387	14387		14387
66	कन्नौज	कन्नौज	8640	8053	587	8640
67	औरैया	औरैया	8733	8158	575	8733
68	इटावा	इटावा	5043	5043		5043
	योग कानपुर मण्डल		**79857**	**78115**	**1742**	**79857**
69	झांसी	झांसी	35860	24644	11216	35860
70	ललितपुर	ललितपुर	58667	28633	30034	58667
71	जालौन	जालौन	46004	21440	24564	46004

http://shasanadesh.up.nic.in

	योग झांसी मण्डल		**140531**	**74717**	**65814**	**140531**
72	हमीरपुर	हमीरपुर	63790	32200	31590	63790
73	महोबा	महोबा	65201	50140	15061	65201
74	बांदा	बांदा	36979	36265	714	36979
75	चित्रकूट	चित्रकूट	55942	38040	15432	53472
		कैमूर वन्यजीव प्रभाग		2470		2470
	योग चित्रकूट धाम मण्डल		**221912**	**159115**	**62797**	**221912**
	कुल योग		**1672352**	**1491142**	**181210**	**1672352**

(रू0 अट्ठारह करोड. बारह लाख दस हजार मात्र)

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in